राजस्थान सरकार

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 02/2026

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोडेंटः –
1. श्री राणीदान रावल निवासी आशापूर्ण बालाजी के पास, रबारियों का टांका, बालोतरा, जिला बालोतरा		1 श्री अति. जिला कलक्टर, बालोतरा

आदेश

दिनांक 25.02.2026

अपीलार्थी श्री राणीदान रावल निवासी आशापूर्ण बालाजी के पास, रबारियों का टांका, बालोतरा, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील अप्रार्थी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 10.02.2026 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

रेस्पोडेंट द्वारा दौराने जवाब में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय जिला सूचना एवं जनसम्पर्क, बालोतरा के पत्रांक/सूजसका/बालो/2026/78 दिनांक 06.02.2026 को इस न्यायालय को प्रस्तुत की गई। साथ ही कथन किया कि अपीलांट द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्रश्नात्मक एवं तृतीय पक्षकार के निजी दस्तावेजों से संबंधित सूचना है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ), 8(1)(जे) के अनुसार प्रश्नात्मक व तृतीय पक्षकार से संबंधित सूचना दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अस्वीकार कर प्रकरण खारिज योग्य है।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई वांछित सूचना अन्य कार्यालय से संबंधित होने से इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से अपीलांट सक्षम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर वांछित सूचना प्राप्त करें। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अपीलार्थी को सूचित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई सूचना समक्ष न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
प्रथम अपील अधिकारी
बालोतरा
जिला कलक्टर, बालोतरा